छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 100 सन् 2008

अपीलार्थी श्रीमती राजेश्वरी बाई
प्रतिवादी

बनाम

प्रत्यर्थी
वादी दानी प्रकाश मिश्रा

निर्णय हेतु विचारार्थ रखा गया ।

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश

निर्णय सुनाये जाने हेतु दिनांक 15-9-2009 के लिए नियत

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 100 सन् 2008

समक्ष: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

अपीलार्थी प्रतिवादी

श्रीमती राजेश्वरी बाई, आयु लगभग 24 (22) वर्ष, पति श्री दानी प्रकाश मिश्रा, निवासी-ग्राम सालिक झिटिया, पुलिस थाना एवं तहसील डोंगरगाँव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीवादी

दानी प्रकाश मिश्रा, आयु लगभग 27 (25) वर्ष, पिता श्री गोविंद प्रसाद मिश्रा, निवासी-सहसपुर लोहरा, पुलिस थाना सहसपुर लोहरा, तहसील एवं जिला कबीरधाम (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील)

उपस्थित :

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सुमित वर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।
श्री आलोक निगम, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

निर्णय

(आज दिनांक 15 सितम्बर, 2009 को पारित)

श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति द्वारा

यह अपील, विद्वान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 26-अ/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-07-2008 (संलग्नक ए/1) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत प्रत्यर्थी द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, अधिनियम, 1955) की धारा 13 के अंतर्गत प्रस्तुत विवाह के विघटन का आवेदन जो प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थी के मध्य है स्वीकार किया गया।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं, यह हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी और प्रत्यर्थी/वादी का विवाह दिनांक 12-5-2003 को ग्राम सालिक झिटिया, पुलिस थाना डोंगरगाँव में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। प्रत्यर्थी/वादी ने यह अभिकथित करते हुए अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि विवाह के ठीक बाद, अपीलार्थी/पत्नी ने बार-बार यह कहना शुरू कर दिया कि वह उसे कभी पसंद नहीं करती थी और यह विवाह

उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किया गया था। उसने प्रत्यर्थी को विवाहोत्तर संभोग करने की अनुमति नहीं दी और वह बार बार अपने मायके चली जाती थी। जब और जैसे ही अपीलार्थी अपने मायके आती, तब तब उसके माता-पिता उसे उनके पति के पास वापस अपने पुत्र राजेश पाठक द्वारा भेज दिया करते थे। अपीलार्थी ने अपने माता-पिता और ससुराल वालों के समक्ष यह व्यक्त किया था कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। यह भी अभिकथित किया गया कि विवाह के दिन से ही, वह प्रत्यर्थी को धमकी दे रही थी कि यदि उस पर पति के साथ रहने के लिए दबाव डाला गया, तो वह जहर खाकर या फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगी।

3. प्रत्यर्थी ने आगे यह भी अभिकथित किया कि अपीलार्थी के पिता को पत्र लिखकर और साथ ही जब भी अपीलार्थी को उसके माता-पिता के घर वापस लाया गया, तो पुलिस थाने को भी अपीलार्थी के इस कृत्य के बारे में सूचित किया गया था। इस प्रकार, क्रूरता और अभित्यजन के अभिकथन पर प्रत्यर्थी ने विवाह के विघटन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया।

4. अपीलार्थी/पत्नी ने अपने लिखित कथन में अभिकथनों का खंडन किया और कहा कि उसने अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने और प्रत्यर्थी को विवाहोत्तर संभोग करने से रोकने से कभी इंकार नहीं किया। अपीलार्थी ने विशेष रूप से इस अभिकथन का खंडन किया और कहा कि प्रत्यर्थी ने मनगढ़ंत और झूठी कहानी के आधार पर कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष विवाह के विघटन का आवेदन प्रस्तुत किया है। उसने कभी भी प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को आत्महत्या करने की धमकी नहीं दी। वास्तव में, वह दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार थी। उसने आगे कहा कि वह केवल कुछ त्योहारों के अवसर पर ही अपने मायके गई और वह भी अपने ससुराल वालों की पूर्व अनुमति और निर्देश पर। उसने प्रत्यर्थी के साथ रहने से कभी इंकार नहीं किया। उसने आगे कहा कि दिनांक 8-9-2006 को प्रत्यर्थी और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ 'मारपीट' करने के बाद उसे उसके मायके में छोड़ दिया, जिसकी शिकायत डोंगरगाँव पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। अपीलार्थी ने विशेष रूप से यह अभिकथित किया कि 'टीका' के अवसर पर उसके पिता द्वारा प्रत्यर्थी को 51,000/- रुपये दिए गए थे। दिनांक 8-9-2006 को दहेज की मांग पूरी न होने के बहाने प्रत्यर्थी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके भाई को 'बेग्गा' कहकर अपमानित किया गया। उसने आगे अभिकथित किया कि दहेज की कमी के कारण प्रत्यर्थी एवं उसके परिवार के सदस्य उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, विद्वान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने निम्नानुसार वाद-प्रश्न विरचित किये:

1. क्या अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया?
2. क्या प्रत्यर्थी विवाह के विघटन की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है?
3. व्यय एवं अन्य अनुतोष?

6. अपीलार्थी ने स्वयं और दो अन्य साक्षियों का परीक्षण कराया, जबकि प्रत्यर्थी/पति ने स्वयं और तीन अन्य साक्षियों का परीक्षण कराया।

7. प्रत्यर्थी ने दो आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री चाही थी; पहला, विवाहोत्तर संभोग को अपीलार्थी/पत्नी द्वारा जानबूझकर टाला गया और दूसरा, अपीलार्थी/पत्नी ने उसके साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी यह साबित करने में विफल रहा कि विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि अपीलार्थी/पत्नी ने उसके साथ मानसिक क्रूरता का

व्यवहार किया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात्, विद्वान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की कि प्रत्यर्थी/पति ने यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी/पत्नी ने उसके साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया था। इसके विरुद्ध, अपीलार्थी/पत्नी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री, विधि और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है। कुटुम्ब न्यायालय ने इस तथ्य की विवेचना नहीं की कि प्रत्यर्थी क्रूरता के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा और इस तथ्य की भी विवेचना नहीं की कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग के लिए अपीलार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि कुटुम्ब न्यायालय ने अपने निर्णय के कण्डिका 34 में यह सही रुप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी/पति के साक्ष्य के अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि अपीलार्थी/पत्नी ने कभी भी प्रत्यर्थी/पति के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन से इनकार किया हो। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/पति स्वयं अपीलार्थी/पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए, वह प्रारंभ से ही मामले में सुलह करने के प्रयास के बजाय विवाह के विघटन के लिए साक्ष्य प्रदर्श पी/1 से पी/7 गढ़ने में अधिक रुचि रखता था। उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, बल्कि यह प्रत्यर्थी/पति ही था जो अपीलार्थी/पत्नी के साथ रहने का अनिच्छुक था और, इसलिए, प्रत्यर्थी विवाह के विघटन की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे का तर्क यह है कि कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य की गलत विवेचना कर गलत निष्कर्ष निकाला है। कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत एवं विधि की दृष्टि में दूषित हैं। कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी/पति के आवेदन को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24-7-2008 का आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि यह अत्यधिक असंभाव्य है कि प्रत्यर्थी/पति या उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी/पत्नी को दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया होगा, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी/पत्नी द्वारा अपने माता-पिता से दहेज की मांग हेतु प्रताड़ना के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की गई। प्रत्यर्थी/पति कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष क्रूरता के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में सफल रहा। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी/पति क्रूरता और अभित्यजन के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में सफल रहा और इस प्रकार अपीलार्थी/पत्नी के साथ अपने विवाह के विघटन हेतु प्रत्यर्थी/पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि यह प्रस्तुत अपील तुच्छ आधारों पर दायर की गई है और सारहीन है, इसलिए, यह खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख, अभिवचनों एवं तत्संबद्ध संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया।

11. विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य दिनांक 12-5-2003 को संपन्न हुए विवाह विच्छेद की आक्षेपित डिक्री क्रूरता के आधार पर पारित की है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने उपरोक्त निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रत्यर्थी/पति उस आधार पर डिक्री पारित करने के लिए आवश्यक क्रूरता के तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। अभित्यजन के आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री प्रदान करने के प्रयोजन हेतु प्रत्यर्थी/पति को अभित्यजन का आशय (*animus deserendi*) भी साबित करना आवश्यक है, जिसका इस मामले में अभाव है।

12. यह सुस्थापित विधि है कि क्रूरता गठित करने के लिए, अभिकथित आचरण इतना गंभीर और सारवान होना चाहिए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता पति/पत्नी से युक्तियुक्त रूप से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दूसरे पति/पत्नी के साथ रहे। यह 'वैवाहिक जीवन की सामान्य नोक-झोंक' से कहीं अधिक गंभीर होना चाहिए। आचरण पर पक्षकारों की सामाजिक हैसियत, उनकी शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक दशाओं, रीति-रिवाजों एवं परंपराओं जैसे विभिन्न कारकों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। तथापि, न्यायालय की अंतरात्मा को यह समाधान करने के लिए कोई यथार्थ परिभाषा देना या विस्तृत विवरण देना बहुत कठिन है कि दूसरे पति/पत्नी के आचरण के कारण पक्षकारों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए थे कि परिवादी पति/पत्नी को विवाह के विघटन प्राप्त करने का हकदार बनाने हेतु उनका बिना मानसिक पीड़ा, यंत्रणा या संताप के एक साथ रहना असंभव हो गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि हम विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी/पति ने अपने आवेदन में तथा कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि विवाह के दिन से ही अपीलार्थी/पत्नी उसे यह कहकर ताने मारती थी कि उसने उसे कभी पसंद नहीं किया और यह विवाह उसकी इच्छा एवं सहमति के विरुद्ध हुआ है। यदि उस पर अपने पति के साथ रहने के लिए दबाव डाला जाता तो वह प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों को आत्महत्या करने की धमकी देती थी। यहां तक कि उसने अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार किया और विवाहोत्तर संभोग से बचती रही। किंतु कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कण्डिका 34 में दिए गए निष्कर्ष के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विवाहोत्तर संभोग से बचने का तथ्य साक्ष्य के आलोक में प्रत्यर्थी/पति द्वारा साबित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि यह एक गंभीर प्रश्न है कि क्या विवाहोत्तर संभोग हुआ था। अभिलेख पर प्रत्यर्थी/पति के अभिसाक्ष्य के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं है। जहां तक क्रूरता के आधार का प्रश्न है, प्रत्यर्थी/पति यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलार्थी/पत्नी ने बिना किसी कारण के जानबूझकर उसका अभित्यजन किया, जैसा कि अपीलार्थी/पत्नी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उसका कभी अभित्यजन नहीं किया और जब कभी वह कुछ अवसरों पर अपने मायके गई, तो वह भी अपने पति की उचित अनुमति से गई थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह हमेशा अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार थी। उसने प्रत्यर्थी/पति द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से एवं विशिष्ट तौर पर खंडन किया और कहा कि यह पति ही था जिसने उसके साथ दहेज की मांग के लिए क्रूरता का व्यवहार किया और इस तथ्य के बावजूद कि उसने अपने भाई के साथ अपने ससुराल जाकर मामले में सुलह का प्रयास किया, किंतु उसे बाहर निकाल दिया गया और घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस और एस.डी.एम. (अनुविभागीय दंडाधिकारी) द्वारा भी सुलह का प्रयास किया गया था, किंतु प्रत्यर्थी/पति के अहंकार के कारण, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अपीलार्थी/पत्नी के कथन का स्वतंत्र

साक्षियों द्वारा भी समर्थन किया गया है। तर्क के लिए, यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी/पत्नी ने कभी आत्महत्या करने की धमकी दी थी, तो वह भी क्रूरता की कोटि में नहीं आता है।

14. संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों, विचारण के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री प्रदान करने हेतु दिए गए कारणों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात्, प्रत्यर्थी/पति के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए एवं यहां अपीलार्थी के कथन पर अविश्वास करते हुए, हमारी यह राय है कि कुटुम्ब न्यायालय ने यह गलत अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी/पति द्वारा क्रूरता का आधार स्थापित किया गया था।

15. क्रूरता के आधार के अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कुछ समय तक एक साथ निवास कर रहे थे। अपीलार्थी ने अभिकथित किया कि वह अपने पति के साथ निवास करने की इच्छुक थी। तथापि, प्रत्यर्थी/पति ने उसे वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। प्रत्यर्थी ने यह अभिवचन एवं अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी/पत्नी विवाह के कुछ दिनों पश्चात् ही अपने मायके चली गई और लगभग एक वर्ष तक अपने ससुराल वापस नहीं लौटी। तथापि, उसने विवाह के विघटन हेतु यह प्रस्तुत आवेदन दायर करने से पूर्व दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई याचिका दायर नहीं की, जो कि उसके लिए उपलब्ध थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/पति का आचरण यह दर्शाता है कि वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ रहने का इच्छुक नहीं था और उसने सुलह का कोई प्रयास कभी नहीं किया।

16. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारी यह राय है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में विवाह के विघटन की डिक्री प्रदान की। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti